

nars ojh eS; k l gdkjh 'kDdj dkj [kkuk e; kfnr ckykn
ftyk&ckykn ¼N-x-½

ई-निविदा क्र./98423/दिनांक 06.05.2022

(नोट: निविदा फार्म तीन भागों में है जिसमें प्रथम भाग में ई.एम.डी. रखा जाएगा और दूसरे भाग में तकनीकी भाग रखा जाएगा तथा तीसरे भाग में व्यावसायिक भाग ऑनलाईन भरा जावेगा। ई-टेंडर में निविदाकारों द्वारा भाग लेने के लिए ई-टेंडर के वेबसाइट में जा कर फार्म राशि 1311/- रु. (1000/- रु. + 311/- रु चीप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय वेबसाइट (E-Procurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>) से फार्म upload किया जाना है। प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। किसी फर्म/व्यवसायी के प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस आशय का अधिकार –पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1-अमानत/ई.एम.डी. राशि –(भाग-एक में रखें)

निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में विक्रय किये जाने वाले गन्ना पौधों के लिए 50,000/-राशि ई.एम.डी. के रूप में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से "nars ojh eS; k l gdkjh 'kDdj dkj [kkuk e; kfnr ckykn ftyk&ckykn के नाम पर बैंक आफ बड़ौदा बालोद के एकाउन्ट नम्बर 31360100006799 आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड BARBOBALODX में जमा करना अनिवार्य होगा। ई. एम. डी. की राशि निविदाकार को उपरोक्त दिए गए बैंक एकाउन्ट नंबर पर ही जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी. राशि कम पाये जाने पर निविदा निरस्त की जाएगी।

जमा अमानत/ई.एम.डी. राशि का विवरण-

1. एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस.-
क्रमांक-..... दिनांक-.....
2. एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. राशि -
3. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं पता -

2- तकनीकी भाग (भाग-दो में रखें)

प्रति,

प्रबंध संचालक ,
nars'ojh eS; k l gdkjh 'kDdj dkj [kkuk
e; kfnr ckykn ftyk&ckykn ¼N-x-½

आपके कारखाना द्वारा ई-निविदा क्रमांक 98423 दिनांक 06.05.2022 व्यावसायिक भाग में (भाग तीन) में आपके द्वारा चाही गई गन्ना पौधों की मात्रा एवं प्रकार को उपलब्ध कराने हेतु मैं अपना विक्रय दर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं/मेरे फर्म द्वारा गन्ना पौधा कय/विक्रय/परिवहन/भण्डारण से संबंधित अधिनियमों/नियमों और केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा तत्संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही nars'ojh eS; k l gdkjh 'kDdj dkj [kkuk e; kfnr ckykn ftyk&ckykn ¼N-x-½ द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानदण्डों का पालन करने की सहमति देता हूँ।

एक - व्यवसायी/फर्म का विवरण -

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता -
2. मालिक/संचालक का नाम
3. दूरभाष/मोबाईल नम्बर
4. जी.एस.टी.
5. पेन कार्ड की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित
6. कृषि विभाग से जारी लाईसेंस वैधता तिथि सहित
- क्रं.....वैधता तिथि
8. ई.एम.डी. जमा करने संबंधी प्रमाण स्वरूप UTR NO/जमा पावती की मूल प्रति

एक (एक)– व्यवसायी/फर्म के प्रतिनिधि का विवरण –

यदि प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किया जा रहा हो तो प्रतिनिधि के संबंध में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से दिया जावे –

1. प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता –
2. दूरभाष/मोबाईल नम्बर
3. व्यवसाय एवं पता –
4. उद्योग/फर्म में प्रतिनिधि का पद
5. अधिकार पत्र मूल प्रति में (अथोरिटी लेटर)

मैं दंतेश्वरी मैय्या सहकारी षक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला–बालोद (छ.ग.) द्वारा जारी ई–निविदा क्रमांक **98423/दिनांक 06.05.2022** के लिए श्री/मेसर्स..... पता..... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। उक्त फर्म द्वारा मुझे इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। अधिकार पत्र इस निविदा के तकनीकी भाग में भाग–दो में सलग्न कर रहा हूँ। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही और सत्य है। मैंने गन्ना पौधा विक्रय से संबंधित नियमों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। जो मुझे मान्य है। इस निविदा के संबंध में मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य निविदा से संबंधित फर्म/व्यवसायी, की ओर से किया गया माना जाएगा। किसी प्रकार से गलत पाये जाने पर मैं जिम्मेदार रहूँगा।

दिनांक

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

नाम एवं पता.....

उद्योग/फर्म की सील

दो- ई-निविदा का प्रस्तुतीकरण एवं खोलना-

निविदाकार को ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु तीन पार्ट में अपलोड किया जाना है। प्रथम भाग में ई.एम.डी. की राशि (आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.) दूसरे भाग में ई-निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार 01. जी.एस.टी. नंबर, 02. पेन नंबर, 03. राज्य शासन से कृषि विभाग से जारी वैध लाईसेंस, 04 अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व दस्तावेज अपलोड करना तथा तीसरे भाग में निविदा मात्रा एवं दर संबंधी प्रपत्र अपलोड करना होगा। उक्त भाग ई-निविदा में (E-Procurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>) में upload किया जाना अनिवार्य होगा।

तीन- निविदा की शर्तें -

नर्सो जह एऽ; क | गदकjh 'kDdj dkj [kkuk e; kfnr ckykn ftyk&ckykn (छ.ग.) को गन्ना पौधा विक्रय करने वाले फर्म/व्यवसायी का नीचे उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. निविदाकार द्वारा गन्ना पौधा विक्रय करने हेतु राज्य शासन के कृषि विभाग से जारी वैध लाईसेंस जिसमें गन्ना पौधों का उल्लेख हो जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
2. जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति जिसमें निविदाकार का हस्ताक्षर एवं फर्म का मुहर के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
3. गन्ना पौधा विक्रय करने के लिए भाव पत्र न्यूनतम मात्रा 15 लाख की होगी जो कम या ज्यादा हो सकती हैं। निविदा में **10 लाख पौधों** से कम मात्रा के लिये दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. समस्त गन्ना पौधे दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद में पहुंचाकर देय होगी।
5. गन्ना पौधे स्वस्थ व निरोग होने चाहिए। पौधों में किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. फर्म/निविदाकार द्वारा 01 से 1.5 माह के अंकुरित गन्ना पौधे ही उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. कारखाना परिसर में पहुंचने से पहले गन्ना पौधों में होने वाली किसी भी प्रकार की कोई क्षति या चोरी/खोने की जिम्मेदारी निविदाकार की स्वयं की होगी।
8. निविदाकार को गन्ना पौधों का भुगतान प्रबंधन/गन्ना विभाग द्वारा पौधों की गुणवत्ता सही पाये जाने पर ही की जायेगी।
9. गन्ना पौधों की उपलब्धता प्रबंधन द्वारा किये गये समयावधि में किया जाना होगा। निर्धारित समय में गन्ना पौधे उपलब्ध नहीं होने पर ईएमडी राशि राजसात एवं क्रय आदेश निरस्त किया जाएगा।
10. गन्ना पौधे संबंधी केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा परिवहन के नियमानुसार वाहन की पासिंग व कर/टेक्स/अन्य दस्तावेज निविदाकार द्वारा प्रदाय किया जाएगा।
11. निविदा में उचित दर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निविदा कमेटी द्वारा निविदाकार के साथ निगोसिएशन किया जा सकता है, जो कि अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
12. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्तों/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा, यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. गन्ना पौधा विक्रय हेतु निविदा फार्म में केवल एक ही दर प्रस्तुत करे एक से अधिक दरो पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. निविदा में मात्रा एवं दर का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंको एवं शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। काट-छाँट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
15. निविदा फार्म दिनांक **30/04/2022 सायं 04.00 बजे से दिनांक 06/05/2022 को प्रातः 10:30 बजे तक ई-टेंडर के वेबसाईट में जा कर फार्म राशि 1311/- रू. (1000/- रू. + 311/- रू चीप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय वेबसाईट (E-ProcurementPortal: <https://eproc.cgstate.gov.in>) से फार्म upload किया जा सकता हैं।**
16. ई-निविदा दिनांक **06/05/2022 को प्रातः 10:30 बजे तक ऑनलाईन फार्म भर कर निविदा फार्म upload करना अनिवार्य होगा।** तत्पश्चात् दोपहर **03:00 बजे** क्रय समिति/निविदाकारों के समक्ष निविदा खोला जायेगा जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
17. निविदाकार द्वारा ई-निविदा में जमा ई.एम.डी. की राशि के आधार पर ही गन्ना पौधा की मात्रा निर्धारित किया जावेगा।
18. ऐसे निविदाकार जिनके द्वारा टेक्नीकल बीड में क्वालिफाई नहीं किया गया है, उन फर्मों का प्राईज बीड 03 (तीन) नहीं खोला जायेगा एवं उनके निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
19. निविदा प्रपत्र के साथ **50,000/- ई.एम.डी. राशि** जमा किया जाना अनिवार्य है।
20. निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पुरा नाम पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, मुस्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया उसका उल्लेख करना अनिवार्य हैं। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है तो इस संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित अधिकार पत्र के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापित अधिकार पत्र के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा, अगर कंपनी/समिति, द्वारा अधिकार पत्र जारी किया जाता है, तो अधिकार पत्र पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षरमय सील होना अनिवार्य हैं। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं।
21. निविदाकार को शासन के नियमानुसार प्रचलित दर पर जी.एस.टी. के अतिरिक्त सभी कर/शुल्क/टी.सी.एस. इत्यादि का भुगतान पृथक से करना अनिवार्य होगा। गन्ना पौधों की उपलब्धता शक्कर कारखाना बालोद में की जायेगी।
22. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद होने की दशा में कार्यालयीन क्षेत्राधिकार जिला बालोद सहकारी क्षेत्र का समक्ष न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत रहेगा।
23. गन्ना पौधा क्रय की मात्रा कम या अधिक करने का अधिकार कारखाना प्रबंधन का होगा।
24. इस फार्म की 01 से 23 तक की नियम व शर्तें पूर्णतः समझकर मेरे द्वारा निविदाफार्म में नीचे हस्ताक्षर किया गया।

निविदाकार का हस्ताक्षर

चार- प्रबंध संचालक का अधिकार -

प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति को निम्नानुसार अधिकार होगा।

1. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निगोशियेशन संबंधी संपूर्ण अधिकार।
2. प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
3. फर्म/व्यवसायी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने पर अमानत राशि जप्त करने/अन्य फर्म/व्यवसायी से शेष गन्ना पौधा क्रय करने एवं अन्य समवर्ती सम्पूर्ण अधिकार।
4. किसी भी शर्त को शिथिल करने अथवा कोई अन्य शर्त आरोपित का सम्पूर्ण अधिकार।
5. निविदाकार/विक्रेता के द्वारा गन्ना पौधों की उपलब्धता ई-निविदा तथा क्रय आदेश में दिए गए शर्तों एवं नियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त फर्मो/निविदाकार/विक्रेता को ब्लेकलिस्ट करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक की होगी।

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/क्रय आदेश निरस्त कर सकती है। शककर कारखाना द्वारा गन्ना पौधा क्रय हेतु निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है। मेरे द्वारा गन्ना पौधा विक्रय हेतु निविदा दर लिफाफा-तीन व्यावसायिक भाग पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक

निविदाकार का हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

फर्म का मुहर

गन्ना पौधा हेतु ई-निविदा प्रपत्र

nr's ojh eS; k l gdkjh 'kDdj dkj [kkuk e; kfnr ckykn
ftyk&ckykn ¼N-x-½

ई-निविदा क./98423/दिनांक 06.05.2022

1 – व्यावसायिक भाग (लिफाफा-तीन में रखें)

प्रति,

प्रबंध संचालक ,

nr's ojh eS; k l gdkjh 'kDdj dkj [kkuk
e; kfnr ckykn ftyk&ckykn ¼N-x-½

nr's ojh eS; k l gdkjh 'kDdj dkj [kkuk मर्यादित, ckykn, जिला- ckykn (छ.ग.) द्वारा गन्ना पौधा क्रय हेतु जारी ई-निविदा क्रमांक 98423 में उल्लेखित विवरण के आधार पर गन्ना पौधा विक्रय हेतु मेरे द्वारा तकनीकी भाग (लिफाफा-दो) में समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण की जाकर आनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है और अब इस पत्रक के माध्यम से नीचे उल्लेखित अनुसार मात्रा उनके सामने अंकित दर पर विक्रय करने के लिये निविदा प्रस्तुत किया जा रहा है।

एक-क्रय सामग्री का विवरण –

क्रमांक	किस्म	क्रय हेतु प्रस्तावित मात्रा लगभग है जो कम/ज्यादा हो सकती है
01	01- COJ86032 02- COJ085 03- VSI08005	लगभग 15 लाख

2 – जमा की गई अमानत/ई.एम.डी. राशि का विवरण –

1. आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. राशि –क्रमांक

..... दिनांक-

2. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं पता –

3 – विक्रय हेतु प्रस्तावित मात्रा एवं दर –

क्रमांक	किस्म	विक्रय हेतु प्रस्तावित मात्रा	दर प्रति पौधा समस्त टेक्स रहित
01	01- COJ86032 02-COJ085 03- VSI08005		

4 – व्यवसायी/फर्म का विवरण –

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता –
2. मालिक/संचालक का नाम
3. दूरभाष/मोबाईल नम्बर
4. जी.एस.टी.नं. की छायाप्रति
5. पेन कार्ड की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित
6. कृषि विभाग से जारी लाईसेंस क्रं. वैधता तिथि

निविदाकार का हस्ताक्षर

एवं मुहर

5 – प्रतिनिधि का विवरण –

1. प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता –

निविदाकार का प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

एवं मुहर

S.No.	Department	SOR	Year	Itam Code	Description/Specification of material	Unit	Rate	Qty Req.	Amount
1	DSSK	NS	2022	1	Cane Seed Plant	NO		1500000	